

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

कसं	नाम मय पदस्थापन स्थान राउमावि	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	तारा शर्मा, भाकरी-पावटा-जयपुर	22.06.1957	30-06-2017
2	टीकम चन्द जाटव, विजयपुरा-हिण्डौली-करौली	01.08.1957	31-07-2017
3	मदनलाल खाती, बरल II- अजमेर	01.01.1958	31-12-2017
4	लीलाधर, झिनझिनयाली- जैसलमेर	05.07.1957	31-07-2017
5	उषादेवी शर्मा, बी.एन.जोशी-बांदीकुई-दौसा	05.07.1957	31-07-2017
6	शकुन्तला देवी, न06 धनूर-करणपुर-गंगानगर	06.09.1957	30-09-2017
7	मंजुला दाधीच, बा0महामंदिर- जोधपुर	27.08.1957	31-08-2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2015-16

दिनांक 29 .05.2017

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को सेवानिवृत्त करने से पूर्व उपरोक्त प्रमाणिकरण की भलिभांति जांच करें।
5. संबधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2014


दिनांक- 29/05/2017

**आदेश**

श्री बाबूलाल बैरवा, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि गाडरवाडानूरजी, झालावाड जिनकी जन्म तिथि:- 04/07/1960 है, का निधन दिनांक:-22/04/2017 को हो चुका है। अतः श्री बाबूलाल बैरवा, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक:-22/04/2017 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री बाबूलाल बैरवा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(नथमल डिडेल)


निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2014

दिनांक- 29/05/17

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) झालावाड
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा
4. प्रधानाचार्य, राउमावि गाडरवाडानूरजी, झालावाड
5. आश्रित स्व. श्री बाबूलाल बैरवा, राउमावि गाडरवाडानूरजी, झालावाड
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर